

PA  
19/09/2022MD  
21/9/22

ई पत्रावली संख्या-27857

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।CE(P)/Pauri  
20/9/22(अशोक कुमार)  
मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठापन)

1848)SSO(P) III

सेवा में,

✓ प्रमुख अभियन्ता,  
लोक निर्माण विभाग,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।मुख्य अभियन्ता (नियोजनी)  
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

SAO(P)

21/9/22

एन. एस. खोलिया  
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 19 सितम्बर, 2022

वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र-यमकेश्वर के अन्तर्गत स्व. जगमोहन सिंह नेगी मोटर मार्ग के किमी. 1 से 28 (ऋषिकेश बैराज से पीपलकोटी) एवं नीलकण्ठ मोटर मार्ग के किमी. 01 से 05 तक डबल लेन में चौड़ीकरण का कार्य (प्रथम चरण) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षे.का., लोक निर्माण विभाग, पौड़ी द्वारा विषयगत कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के आगणन, जिसकी कुल लम्बाई 33.00 किमी. एवं लागत ₹ 28.71 लाख है, पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹ 28.71 लाख (रूपये अट्ठाईस लाख इकहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु ₹ 0.10 लाख (रूपये दस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- I. उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश संख्या- 1764/III(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- II. उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या- 383/III(1)/19-190(PWD)01 टी.सी. II दिनांक 05.02.2020 का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
- III. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- IV. विषयगत कार्य की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जाती है कि सर्वप्रथम राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क की भूमि हस्तान्तरण के पश्चात् ही प्रथम चरण से सम्बन्धित अन्य कार्यों को सम्पादित किया जाये।
- V. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।
- VI. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण

श्री अशोक  
21/9/22



- विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
- VII. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- VIII. स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रॉक्योरमेन्ट रूल्स- 2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- IX. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- X. उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन.पी.वी., भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान संख्या-22 के सुसंगत लेखाशीर्षक/मानक मदों/उपमदों में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित तथा निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।
- XI. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- XII. वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 3 1.03.2023 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।
- XIII. यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्य में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
- XIV. विषयगत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि ₹ 0.10 लाख का बजट आवंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं. - 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या- 22, के अन्तर्गत संलग्न अलॉटमेंट आई.डी. द्वारा आपको आवंटित कोड संख्या- 4227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया है।
- 2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं.- 22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें- 337 सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य- 53 वृहद निर्माण (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त अनुभाग-2 की कम्प्यूटरजनित संख्या-I/62607/2022 दिनांक 12 सितम्बर, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by Ramesh Kumar  
(सहसचिव सुभाष)

Date 17/09-2022 12:58:36

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।

2. सचिव, मा मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो.नि.वि., पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग- 2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, द्वादश वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
10. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा।
11. गार्ड फाईल।

**Signed by Shyam Singh**  
**Date: 19-09-2022 14:41:47**

(श्याम सिंह)  
संयुक्त सचिव।



आवंटन पत्र संख्या -I/64127/2022  
अनुदान संख्या -022

आवंटन आई डी-S22090220020  
आवंटन पत्र दिनांक-19-SEP-2022

लेखा शीर्षक

5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत  
परिव्यय  
337-सड़क निर्माण कार्य  
02-नया निर्माण कार्य (5054-04-  
800-03-02से स्थानान्तरित )

04-जिला तथा अन्य सड़के

03-राज्य सेक्टर

Voted

| 5               | 0 | 5              | 4                | 0             | 4      | 3 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 |
|-----------------|---|----------------|------------------|---------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| मानक मद का नाम  |   | पूर्व में जारी | वर्तमान में जारी | अब तक का व्यय | योग    |   |   |   |   |   |   |   |
| 53-वृहद निर्माण |   | 780000         | 10000            | 0             | 790000 |   |   |   |   |   |   |   |
| योग             |   | 780000         | 10000            | 0             | 790000 |   |   |   |   |   |   |   |

**Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.10,000 (Rupees Ten Thousand Only)**

**Approval Status : APPROVED BY OFFICER**



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग  
"नियोजन-1" उत्तराखण्ड देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-<http://govt.ua.nic.in/pwd>

E-mail: [eicpwwduk@nic.in](mailto:eicpwwduk@nic.in)




पत्रांक- 694 /20 याता0'क' /2022

दिनांक- 21 .09.2022

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, 12 वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

  
21/9/22  
श्री0 सी0 एस0 पवार  
विभागाध्यक्ष अ.क.प.प.प.  
S. P. P.